न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 4044—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—09—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 868/अपील/बी—121/2012—13.

.....

बृजलाल नाई तनय भग्गू नाई
निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील
व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— श्रीमती हेमलता सोलंकी पत्नी वीरेन्द्र सोलंकी
निवासी गुदनवारा तहसील व जिला टीकमगढ़
2— दशरथ गड़रिया तनय चिल्लू गड़रिया
3— तुलसी तनय चिल्लू गड़रिया
दोनो निवासी ग्राम दुर्गापुर तहसील व
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री मती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क0—1
अनावेदक कमांक—2, 3 अनुपस्थित।

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-9-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—09—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 286/4 रकवा 1.619 है0 स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील व जिला टीकमगढ़ की भूमि बृजलाल तनय भग्गू नाई निवासी ग्राम श्री नगर को पटटे पर दिनांक 19.9.1973 को प्रदांय की गई थी इस भूमि को बृजलाल नाई प्रत्यार्थी कमांक–2, 3 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर जशरथ, तुलसी तनय चिल्लू गडरिया निवासीगण दुर्गापुर तहसील व जिला टीकमगढ़ को विकय की गई इसभूमि का राजस्व अीिलेख में नामांतरण कराने के उपरांत अनावेदक कमांक 2, 3 द्वारा अनावेदक कमांक–1 श्रीमती हेमलता सोलंकी पत्नी वीरेन्द्र सोलंकी निवासी गुदनवारा तहसील व जिला टीकमगढ़ को विकय कर दी गई, जिसका नामांतरण भी हो चुका है। आवेदक द्वारा उक्त विकय को मिथ्या रूप से होना बताया गया था। अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि वापिस दिलाये जाने का अनुरोध किया। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 20.8.13 को म0 प्र0 शासन में दर्ज करने का आदेश दिया। इसी से दुखित होकर प्रत्यर्थी श्रीमती हेमलता आदि द्वारा अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 22.9.15 को अपील स्वीकार की गई। इसी से दुखित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त सागर द्वारा विधि प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकार वाह्य आदेश पारित कियाहै इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त सागर द्वारा आदेश दिनांक 22.9.15 प्रत्यार्थी को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपनी बेटी की शादी के लिये गिरवी रखी गई थी। लेकिन प्रत्यर्थी कमांक–2, 3 द्वारा फर्जी अगूंठा लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की अपील स्वीकार कर अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 22.9.15 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– प्रत्यर्थी कमांक–1 के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी कमांक –3 द्वारा जो भूमि कय की गई थी वह प्रत्यर्थी कमांक 2, 3 से कय की गई थी तथा कय दिनांक को वादगस्त भूमि

पटवारी अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी। प्रत्यर्थी कमांक–1 द्वारा उपरोक्त भूमि स्वच्छ हाथों से कय की गई थी। प्रत्यर्थी कमांक–1 द्वारा वादग्रस्त भूमि जिस समय कय की थी उस समय उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी हक में दर्ज थी, तथा प्रत्यर्थीगणों को यह जानकारी नहीं थी कि यह भूमि पटट्ा प्रदान किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1973 में प्रदान किया गया था। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में प्रावधान है कि दस साल से अधिक पुरानी पटट्ा भूमि को बिकय से पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक की अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सन् 1973 में पटट्ा मिला था। वर्ष 1994 में उसने अपनी भूमि प्रत्यर्थी कमांक–2, 3 को विकय कर दी । बाद में वर्ष 2007 में प्रत्यर्थी कमांक 2, 3 ने प्रश्नाधीन भूमि को प्रत्यर्थी कमांक–1 को विकय कर दी । दोनों विकय के पश्चात् संबंधित केतागणों के नाम नामान्तरण हो गया था। कब्जा भी प्राप्त हो गया था। विकय के 30 साल बाद अपीलार्थी बृजलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा विकय पत्र निरस्त कर दिये । पटट्ा 1973 का है भूमि का प्रथम विकय सन् 1994 में 21 साल बाद तथा दूसरा विकय 13 साल बाद हुआ। 30 साल बाद आपत्ति प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में प्रथम व द्वितीय विकय एवं उनके नामांतरण के समय आपत्ति नहीं की गई। नामांतरण कब्जा हो जाने पर फसल खराब हुई उसका पैसा बटा मुआबजा राशि प्राप्त कीतब भी अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की। इन्हें पूर्व से ही इस सभी तथ्यों की जानकारी थी। 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। **म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) एवं धारा 158 (3) क अंतस्थापन के पूर्व प्रदाय किया गया– कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि का अंतरण उपबंध आकर्षित नहीं है। उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया– भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्नाधीन भूमि में पटट्ा वर्ष 1973 में दिया गया है।**

6– उपरोक्त विवेचना के अधार पर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 63/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.8.13 को अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण कमांक अपील/868/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.9.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है, तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर